आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–72/2018–19

1. उमा देवी, पति–ओम प्रकाश गुप्ता,
निवास स्थान–कॉलेज रोड, ताऊ,
पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची।..अपीलार्थी।

बनाम

1. अंचल अधिकारी, बुण्डू...विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–304 R27/2017-18 में दिनांक–04.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	672	1577	2.8 डिसमील

चौहदीः–उ०–गणेश गोंझू, द०–सोनम देवी,
पू०–तेजु गोंझु, प०–10 फीट का चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–304 R27/2017-18 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी द्वारा नामांतरण हेतु स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है। जबकि अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि संयुक्त खाते की है, एवं संलग्न वंशावली जमाबंदी रैयत के अनुसार भिन्न है। अतएव इसी आधार पर नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

8/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

8/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।